उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradsesh Undertaking)
CIN-U32201UP1999SGC024928

संख्या : 861–पें0एवंआर0–28/पाकालि/21–60–पी0/98(TC-1-2018), **दिनांक 12 जुलाई, 2021**

कार्यालय ज्ञाप

विषय :उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसके सहयोगी वितरण निगमों, केस्को के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2016 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 तक देय पेंशन अवशेषों की द्वितीय/अन्तिम किश्त के भुगतान के सम्बन्ध में।

उ0प्र0 शासन (ऊर्जा अनुभाग–2) के आदेश संख्या–670/24–पी–2–2021–सा0(144)/2017, दिनांक 02.07.2021 के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र के पेंशनरों की पेंशन भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 के बजट मे व्यवस्थित धनराशि रू0 3500.00 करोड़ से ऊर्जा विभाग के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनर्स को सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 तक देय लम्बित पेंशन अवशेषों की द्वितीय/अन्तिम किश्त की धनराशि 298.52 करोड़ (रू0 दो सौ अट्ठान्नवे करोड़ बावन लाख मात्र) के भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस सम्बन्ध में ऊर्जा क्षेत्र के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स के सातवें वेतन आयोग के पेंशन पुनरीक्षण के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 तक देय पेंशन/पारिवारिक पेंशन के अवशेषों के प्रथम किश्त के भुगतान की स्वीकृति पूर्व में उ0प्र0 शासन (ऊर्जा अनुभाग–2) के आदेश संख्या–801/24–पी–2–2019–सा0(144)/2017, दिनांक 09.07.2019 के माध्यम से प्रदान की गई थी, जिसके अनुपालन में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा कार्यालय ज्ञाप सख्या–851–पें0एवंआर0–28/पाकालि/2019, दिनांक 15.07.2019 के द्वारा भुगतान के आदेश किये गये थे, जिसके सापेक्ष प्रथम किश्त के भुगतान की कार्यवाही की गई।

अतः उ0प्र0 शासन (ऊर्जा अनुभाग–2) के वर्तमान में जारी शासनादेश संख्या–670/24–पी–2–2021–सा0(144)/2017, दिनांक 02.07.2021 में प्राविधानित व्यवस्थाओं/शर्तों के अनुसार यह आदेशित किया जाता है कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसके सहयोगी वितरण निगमों, केस्को के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनर्स को सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2016 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 तक देय लम्बित एरियर/अवशेषों के द्वितीय/अन्तिम किश्त का भुगतान कर दिया जाये।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या–861(I)–पें0एवंआर0–28/पाकालि/2021, तददिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निजी सचिव।

क्रमशः...2

4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य जल विद्युत निगम लि0 के निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि वह उ0प्र0 (ऊर्जा अनुभाग–2) के **आदेश संख्या–670/24–पी–2–2021–सा0(144)/2017, दिनांक 02.07.2021** में निहित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत ऊर्जा निगमों के पेंशनरों के दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 तक देय लम्बित अवशेषों का भुगतान राजकीय कोषागारों से कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
7. निदेशक वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, कक्ष संख्या–148, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9. समस्त निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
10. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/केस्को–कानपुर।
11. अधिशासी निदेशक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0/उ0प्र0 रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0पा0का0लि0/विद्युत वितरण कम्पनियां।
14. पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. विधि अधिकारी, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
17. समस्त जिला कोषाधिकारी, उ0प्र0।
18. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
19. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0पा0का0लि0/विद्युत वितरण कम्पनियॉं।
20. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0पा0का0लि0।
21. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (पेंशन), लखनऊ को **10 अतिरिक्त प्रतियों सहित**।
22. कम्पनी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
23. अधिशासी अभियन्ता (वेब), **कक्ष संख्या–407**, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
24. कट फाईल।

आज्ञा से,

(आनन्द श्रीवास्तव)
अनु सचिव (पें0एवंआर0)

संख्या– 670/24–पी–2–2021–सा0 (144)/2017

प्रेषक,

आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/
उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0/
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

(2) प्रबन्ध निदेशक,
केस्को, कानपुर।

ऊर्जा अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 2 जुलाई, 2021

विषयः– उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उनकी सहयोगी वितरण निगमों, केस्को, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 एवं उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनर्स को सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 तक देय पेंशन अवशेषों की द्वितीय/अन्तिम किश्त की भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र सं0:–1245–पें0एवंआर0–28/पाकालि/20–60पी/98–टी0सी0–2018/2020, दिनांक 21.10.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 तक देय पेंशन एरियर/अवशेष आंकलित धनराशि के द्वितीय/अन्तिम किश्त का भुगतान किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 के बजट में ऊर्जा क्षेत्र के पेंशनरो की पेंशन भुगतान हेतु व्यवस्थित धनराशि रू0 3500.00 करोड़ से ऊर्जा विभाग के पेशनरों/पारिवारिक पेंशनर्स को सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 तक देय लम्बित पेंशन अवशेषों की द्वितीय/अन्तिम किश्त की धनराशि 298.52 करोड (रूपये दो सौ अट्ठान्नबे करोड़ बावन लाख मात्र) का भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त भुगतान ऊर्जा विभाग के अनुदान संख्याः–09 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष "2071–पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ–01–सिविल–200–अन्य पेंशन–03–राज्य विद्युत परिषद के विघटन पूर्व कार्यरत/सेवानिवृत्त

–2–

प्रबन्ध निदेशक
उत्तर प्रदेश पा.ग्र कारपोरेशन लि०

S O LETTER-2021

कर्मचारियों के सेवानैवृत्तिक सुविधायें–33–पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ' में प्राविधानित बजट व्यवस्था के नामे डाला जायेगा तथा इस संबंध में समय–समय पर निर्गत संगत शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्याः– ई–10–296/दस–2021–22, दिनांक 30.06.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(आलोक सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 670(1)/24–पी–2–2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) समस्त मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
(4) निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0।
(5) सचिव, राज्य विद्युत परिषद, पावर सेक्टर इम्पलाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) जिलाधिकारी, लखनऊ।
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।